उत्तर प्रदेश शासन
भाषा अनुभाग–4
संख्या–92 / इक्कीस–4–2011–3(21) / 2009
लखनऊः दिनांकः 07 मई, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः **वेतन समिति, उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ.प्र. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।**

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने, वेतन समिति, उ.प्र. 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में पेंशन पुनरीक्षण के संदर्भ में की गयी संस्तुतियों को शासकीय संकल्प, संख्या–वे.आ.–2–252 / दस–54(एम) / 2008टी.सी. दिनांक 07 फरवरी, 2009 के प्रस्तर–5 में स्वीकार किये जाने के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक सुविधाओं को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने के आदेश दिये हैं।

2. जिन कार्मिकों के मामले में दिनांक 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन / मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रकिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3(1) पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवा नैवृत्तिक / डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3(2) 'वेतन' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर आधारित पूर्व वेतनमान के पुनर्स्थापित पे–बैण्ड तथा लागू ग्रेड पे के योग से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

3(3) सेवानिवृत्ति / डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

D-VCN-G.O.

4(1) पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों पर किये जाने के साथ–साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में पुनर्स्थापित पे–बैण्ड के न्यूनतम तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो, वह अनुमन्य होगा परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0. 3500/–प्रतिमाह से कम तथा अधिकतम धनराशि की सीमा रू0–40,000/– प्रतिमाह होगी।

4(2) जो कार्मिक 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

4(3) वर्तमान में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है, परन्तु उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि दिनांक 01.01.2006 से पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा करना अनिवार्य है, जो कर्मी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी।

4(4) जो कर्मी 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते हैं तथा पेंशन पाने के पात्र हैं, उन्हें भी उनकी सेवा अवधि के आधार पर अनुपातिक दर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

4(5) वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन भी अनुमन्य की जायेगीः–

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

उपरोक्तानुसार वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी अतिरिक्त पेंशन पर भी समय–समय पर निर्गत महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार–पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे अनुमन्यता की तिथि

को अतिरिक्त पेंशन का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पी.पी.ओ में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। उदाहरणतया यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेंशन की धनराशि रू. 10,000/–प्रतिमाह है तो उसमें मूल पेंशन रू0–10,000/–तथा (ख) अतिरिक्त पेंशन रू. 2,000/–होगी। इसी प्रकार 85 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन(क) रू0–10,000/–(ख) अतिरिक्त पेंशन रू0–3000/–प्रतिमाह होगी। अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी, जिस माह में वरिष्ठ पेंशनर की जन्मतिथि होगी।

5. सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि रू.10 लाख से अधिक नहीं होगी।

6(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0–3500/– प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि रू0–24000/–प्रतिमाह होगी।

6(2) वर्तमान में कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सामान्य पेंशन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में अनुमन्य पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है। दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेंशनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि में कोई संशोधन नहीं होगा। **पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये।**

6(3) वरिष्ठ पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगीः–

पारिवारिक पेंशनर की आयु	पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी अतिरिक्त पेंशन पर समय–समय पर निर्गत महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये शेष सभी कार्यवाही उपरोक्त प्रस्तर–4(5) के अनुसार की जायेगी।

6(4) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगाः–

वर्ग–(I)

(क) विधवा/विधुर, जीवनपर्यन्त अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग–(II)

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग–(I) से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ) ऐसे माता–पिता जो कार्मिक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत कार्मिक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं होती है।

आश्रित माता–पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग(II) से आच्छादित अविवाहित/बिधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा मृतक कार्मिक के परिवार में ऐसी कोई सन्तान नही है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिए बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

6(5) उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महंगाई राहत पर निर्धारित होगी।

6(7) संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाएगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जाएगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

7. जिन कार्मिकों ने दिनांक 01.01.2006 से लागू नये वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर

सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित धनराशियों को जोड़ा जायेगाः–

(क) पुनरीक्षित वेतनमान/निर्धारित पे–बैंड तथा ग्रेड पे में आगणित धनराशि।

(ख) शेष अवधि के लिए दिनांक 01.01.2006 से पूर्व अवधि में आहरित मूल वेतन/महंगाई वेतन तथा वास्तविक महंगाई भत्ता, जो कि दिनांक 01.01.2006 को प्रभावी था तथा संगत अवधि में आहरित किया गया है।

(ग) मूल वेतन के 40 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का फिटमेंट लाभ प्रकल्पित रूप से।

8. ऐसे कार्मिक जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 के पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प दिया है और अब दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी पेंशन/मुत्यु अथवा सेवानिवृत्तिक उपादान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः–

(1) "परिलब्धियॉ" शब्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9(21)(ए)(1) तथा उस पर महंगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 तक अनुमन्य महंगाई राहत (वर्ष 1982=100 के आधार पर) पर आगणित होगी।

(2) पेंशन की गणना परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियॉ, जो भी अधिक लाभप्रद हों, पर की जायेगी।

(3) मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्त 8(1) में परिभाषित परिलब्धि तथा उस पर दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के पूर्व अनुमन्य महंगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की धनराशि की अधिकतम सीमा रूपये 3,50,000/– (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(4) पारिवारिक पेंशन की गणना/स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्रभावी थी एवं ऐसी गणना दिनांक 01.01.2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उपरोक्त गणना हेतु AICPI-536 (वर्ष 1982=100 के आधार पर) निर्धारित महंगाई राहत, जैसी कि शासनादेश संख्या– सा–3–1746/दस–308/05 दिनांक 02.12.2005 में बताई गयी है, को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर AICPI-536 औसत के उपरान्त ही मंहगाई राहत की गणना की जायेगी।

(5) इस कार्यालय–ज्ञाप के आधार पर आगणित/अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर AICPI-536 औसत मूल्य–सूचकांक के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाली महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के संबंध में निम्न व्यवस्था प्रदान की जाती है:–

9.(क) "वर्तमान पेंशनर" अथवा"वर्तमान पारिवारिक पेंशनर" का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31.12.2005 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार थे।

(ख) वर्तमान पेंशन का तात्पर्य मूल पेंशन जो दिनांक 31.12.2005 को देय थी, से है।

(ग) वर्तमान पारिवारिक पेंशन का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो दिनांक 31.12.1995 को अनुमन्य थी।

(घ) वर्तमान मंहगाई राहत का तात्पर्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को AICPI-536 (आधार वर्ष 1982=100) के अनुसार मिल रही राहत से है जो वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा मंहगाई पेंशन के योग के 24 प्रतिशत के समतुल्य है।

10(1) वर्तमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन दिनांक 01.01.2006 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा:–

(1) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन,

(2) महंगाई पेंशन जहां अनुमन्य हो,

(3) वर्तमान महंगाई राहत जैसा कि औसत AICPI-536 (वर्ष 1982=100 के आधार पर) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई पेंशन के 24 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य है, शासनादेश संख्या–सा–3–1746/दस–2005–308/2004 दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 के अनुसार महंगाई राहत के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि को महंगाई पेंशन में परिवर्तित करते हुए, (यदि व्यवस्था लागू है तो)

(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 40 प्रतिशत के फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि भी सम्मिलित होगी।

जिन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महंगाई राहत की धनराशि सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात् महंगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जाएगी।

इस प्रकार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को दिनांक 01.01.2006 से मूल पेंशन माना जायेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच.ए.जी. तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी। जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है

वहां यह धनराशि अनुपातिक रूप में कम कर दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में यह रू.3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित कर्मचारी के दिनांक 01.01.2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत, किन्तु किसी भी दशा में यह रू0–3500/– (रूपये तीन हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह, से कम नहीं होगी। यदि समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0–3500/– से कम आती है तो उसे रू0–3500/– प्रतिमाह कर दिया जायेगा तथा इसे दिनांक 01.01.2006 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन माना जायेगा। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त हैं उनके मामलों में उक्त न्यूनतम सीमा का लाभ सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के योग रू0–3500/– प्रतिमाह से कम होने पर ही देय होगा।

उपरोक्त निहित प्रकिया के आधार पर समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.2006 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी और इस पर इसके उपरान्त स्वीकृत मंहगाई राहत अनुमन्य होगी।

10(2) वरिष्ठ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार वृद्धि की जायेगीः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20 प्रतिशत
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

वरिष्ठ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी अतिरिक्त पेंशन पर समय–समय पर निर्गत महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी। अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी जिस माह में वरिष्ठ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि होगी।

पेंशन भुगतानादेश में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से दर्शायी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू.10,000/– है उस दशा में उसके सम्मुख रू.2,000/– प्रतिमाह अंकित

किया जायेगा। इसी प्रकार से उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी पेंशन एवं अतिरिक्त पेंशन दर्शायी जायेगी। उपरोक्त प्रकरणों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि अवश्य अंकित की जायेगी, जिससे कि भुगतान में कठिनाई न हो।

10(3) वर्तमान में ऐसे पेंशनर जो दिनांक 31.03.1985 और 31.12.1985 के मध्य सेवानिवृत्त हुए और जिन्हें "वैयक्तिक पेंशन" मिल रही है, वे उसे पूर्व की भाँति प्राप्त करते रहेंगे तथा उसे पेंशन समेकन में शामिल नहीं किया जायेगा।

10(4) चूँकि उपरोक्त प्रस्तर–10(1) के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन औसत मूल्य सूचकांक 536 के अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत को सम्मिलित कर किया जायेगा, अतः अब उक्त मूल्य सूचकांक के ऊपर बढ़ी हुयी महंगाई राहत का भुगतान राजकीय पेंशनरों की भांति अनुमन्य होगा।

10(5) सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों पर वर्तमान में महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु प्रकल्पित महंगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा, जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित/पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उनकी पेंशन का समेकन किया जायेगा। दिनांक 01.01.2006 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जायेगा। दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से संबंधित महंगाई राहत उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

10(6) उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अधीन पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की गणना कार्यालय ज्ञाप संख्या– सा–3–1515/दस–2008–308–97 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 से संलग्न तालिका के अनुसार करके संबंधित कोषागार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस संदर्भ में अलग से प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

11.अवशेष भुगतान की प्रकिया :– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 31 अगस्त, 2010 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11, 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2011–12 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012–13 में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय सम्पूर्ण अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए।

12. किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों के देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक

पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एकमुश्त नकद भुगतान कर दिये जायें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–645/दस–ई–7/2011 दिनांक 30 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अशोक घोष
प्रमुख सचिव।

संख्या–92(1)/21–4–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. निदेशक, उ.प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ
4. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. समस्त संबंधित बैंक।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–7
8. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
9. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
10. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
11. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ.प्र. सचिवालय।
12. भाषा अनुभाग–2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

D-VCN-G.8